THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal of the Government of Karnataka was examined in accordance with the provisions of the Scheme for financing relief expenditure. Under the Scheme, the State Governments are required to meet the expenditure on relief, rehabilitation and repair/reconstruction of damaged infrastructure from the corpus of the Calamity Relief Fund (CRF). The annual allocation for the CRF of Karnataka was Rs. 27.00 crores till 1994-95 including the Central contribution of Rs. 20.25 crores. The Government of India released the entire Central share of CRF for the years upto and including 1994-95. The State Government was advised to meet the requirements of funds from the amounts available under the CRF.

Supreme Court Judgement on Seniority of University Professors

*832. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of recent Supreme Court judgement on seniority of University Professors vis-a-vis direct appointees and promotees;

(b) what action University of Delhi has initiated to implement the Court's Order; and

(c) what is the follow-up action taken in respect of Professors holding administrative positions within the University like Headship, Deanship, Pro-Vice-Chancellorship, etc. in the light of the Supreme Court judgement?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) to (c) On April 20, 1995, the Supreme Court has delivered a judgement in two cases involving dispute about fixation of inter-se seniority between directly appointed and promotee Professors and Readers of Vikram University. According to this judgement, no inter-se seniority list can be drawn up consisting, jointly, of promotees and directly recruited Professors and Readers. University of Delhi has informed that they were not a party in the case in which the Supreme Court has pronounced its judgement. However, the University has informed the Government that they are seeking legal opinion in this regard.

आवास और आश्रय सुधार योजना का कार्य निष्पादन

*833. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास और आश्रय सुधार योजना का कार्य निष्पादन असंतोषजनक रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्यवार क्या प्रयास किये गए; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में हुडको द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई थी और कितनी धनराशि को हुडको द्वारा अभी जारी किया जाना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) की आवास तथा आश्रय सुधार योजना के तहत प्रगति संतोषप्रद नहीं रही है। इसका मुख्य कारण यह था कि राज्य, ऋण के हुडको हिस्से की वसूली न होने के भय से स्वीकृत योजनाओं के बारे में अपने स्थानीय शहरी निकायों की ओर से आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) को सरकारी गारन्टी नहीं दे रहे थे। इस मामले को उच्चतम स्तर पर समीक्षा बैठकों और पत्राचार के

माध्यम से राज्यों के साथ जोरदार तरीके से उठाया गया । कई राज्यों ने अब स्कीम को स्वीकार कर लिया है और शहरी गरीब लाभार्थियों को मिलने वाले सम्भावित लाभों को जान लिया हैं । दूसरे, यह स्कीम पहले एक लाख से बीस लाख के बीच की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में ही कार्यान्वित की जानी थी। हाल ही में कई राज्यों के अनुरोध पर, जनसंख्या मापदण्ड में ढील देकर एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी इसके कार्यान्वयन की अनुमति दे दी गई है । आशा है कि अब राज्य और अधिक योजनाएं बनायेंगे और इन्हें केन्द्रीय सब्सिडी तथा ऋण राशि प्राप्त करने हेतु हुडको को भेजेंगे ।

हुडको द्वारा गत तीन वर्षों अर्थात् 1992–93 से 1994–95 के दौरान मंजूर (राज्यवार) योजनाओं के ब्यौरे और इन स्वीकृत योजनाओं में शामिल रिहायशी मकानों की संख्या सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है। **(नीचे देखिए)** ।

(घ) गत तीन वर्षों अर्थात 1992–93 से 1994–95 के दौरान, 38.56 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता हुडको को सौंपी गयी थी। हुडको ने इस अवधि के दौरान राज्य की कार्यान्वयन एजेन्सियों को 2597 करोड़ रुपये की राशि दे दी है । इस प्रकार 12.59 करोड़ की राशि हुडको के पास है जिसे जारी किया जाना है ।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना

आवास तथा आश्रय सुधार योजना

क्र सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1992–93 से 1994–95 के दौरान हुडको द्वारा मंजूर योजनाओं की सं०	स्वीकृत योजनाओं में शामिल रिहायशी मकानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	15	49,333
2.	बिहार	5	43,046
3.	गुजरात	1	1,000
4.	हरियाणा	2	5,616
5.	कर्णाटक	—	—
6.	केरल	2	1,300
7.	मध्य प्रदेश	—	—
8.	महाराष्ट्र	11	22,033
9.	उड़ीसा	3	2,501
10.	पंजाब	—	—
11.	राजस्थान	1	27
12.	तमिलनाडु	22	9,726
13.	उत्तर प्रदेश	—	—
14.	पश्चिम बंगाल	8	25,500
15.	गोवा	—	—
16.	अरुणाचल प्रदेश	—	—

17.	असम	3	8,241
18.	हिमाचल प्रदेश	12	992
19.	जम्मू व काश्मीर	1	1,396
20.	मणिपुर	1	1,000
21.	मेघालय	—	—
22.	मिजोरम	3	1,775
23.	नागालैण्ड	—	—
24.	सिक्किम	1	1,000
25.	त्रिपुरा	3	1,583
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	500
27.	चण्डीगढ़	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	1	45
29.	दमन व द्वीप	—	—
30.	पांडिचेरी	—	—
31.	दिल्ली	—	—
	योग :	96	1,76,614

बीजों की नई किस्मों का विकास

*834. **श्री रामजी लाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये बीजों के प्रयोग से पहले की तुलना में कृषि उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई है ;

(ख) भारत की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सरकार द्वारा बीजों की कौन-कौन सी नयी किस्मों का विकास किया जा रहा है ;

(ग) क्या बीजों की उक्त किस्मों के कारण ईस्वी सन 2000 तक खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या इन बीजों के सही प्रयोग के बारे में किसानों को शिक्षित किया जा रहा है ; और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) अन्य आदानों के साथ-साथ अधिक उपज देने वाली नई किस्मों के बीजों के उपयोग से खाद्यान्न का उत्पादन 1966-67 के 74.2 मिलियन मी. टन से बढ़कर 1993-94 के दौरान 182.1 मिलियन मी. टन हो गया है । इसी अवधि के दौरान तिलहन का उत्पादन 6.4 मिलियन मी. टन से बढ़कर 21.5 मिलियन मी. टन गन्ने का उत्पादन 92.8 मिलियन मी. टन से बढ़कर 227.6 मिलियन मी. टन तथा कपास का उत्पादन 5.27 मिलियन गांठ से बढ़कर 10.7 मिलियन गांठ हो गया है ।

(ख) नई किस्मों का विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा बढ़ती हुई आबादी की मांग पूरी करने के लिए बेहतर किस्मों और संकर किस्मों के विकास हेतु प्रयास जारी है । विभिन्न फसलों की संकर और नई किस्मों के विकास पर बल दिए जाने से सामान्य रूप से यह देखने में आया है कि वर्तमान मानक किस्मों के मुकाबल उपज में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।